संख्या- 22/2024/ 381/001-53-2099-1357-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर,महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ., कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा, बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 06-08-2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 **में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना, अनुदान संख्या-**83, **एस.सी.पी.)।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-150/ दुग्ध-4/ **नियो**0/**कृषक प्रशि**0- **सामान्य**/2024-25, **दिनांक** 12.07.2024 **एवं पत्रांक-** 29/ **दुग्ध-**4/**नियो**0/ **कृषक प्रशि**0-**एससीपी(**288)/2023-24, **दिनांक** 26.04.2024 **के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष** 2024-25 **के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू**0 272.92 **लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू**0 136.47 **लाख (रूपये एक करोड छत्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र) की संलग्नकानुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण-वितरण अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-**

<u>नियम व शर्तें/ प्रतिबन्ध:-</u>

(1) **स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।**

(2) **स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/ टी० एस०पी० मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।**

(3) **स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यें/मदों हेतु अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

(4) **सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष** 2023-24 **की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेंगे।**

(5) **उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधनों से उसका वहन करेंगे ।**

(6) **स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा ।**

(7) **भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति की उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय ।**

(8) **स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे ।**

(9) **दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक में उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के शुद्ध एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग,** उ0प्र0 **का होगा ।**

(10) **उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष** 2024-25 **में कर लिया जायेगा। योजनावार/जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिए जायेगा। उक्त धनराशि से प्रशिक्षित कृषकों का आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर सहित सम्पूर्ण विवरण प्रशिक्षण के पश्चात् शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा ।**

(11) **दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई गयी धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये** 1,36,47,000 (**रुपये एक करोड़ छत्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 2024-25 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2404007890500 **कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम मानक मद** 44 **प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या -**1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024, **दिनाँक-** 04-**मार्च**, 2024 **में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

राम सहाय यादव,

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

विशेष सचिव।

संख्या- 22/2024/381(1)/001-53-2099-1357-2019, **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय** उ0प्र0, **प्रयागराज।**

2- **महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, लखनऊ/प्रयागराज।**

3- **वरिष्ठ आडिट आफिसर (ऑडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन,** 15 **थार्नहिल रोड, प्रयागराज।**

4- **प्रबन्ध निदेशक,** पी0सी0डी0एफ0लि0, **पार्क रोड, लखनऊ।**

5-**सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।**

6- **सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

7-**सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**

8-**सम्बन्धित कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**

9-**वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

10- **सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि**0, उ0प्र0**।**

11-**वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**1/ **नियोजन अनुभाग-**3/ **राज्य योजना आयोग-**3, उ0प्र0 **शासन।**

12- **सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।**

13- **बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-** 07/26-**ब**0**प्रा**0-2015, **दिनांक** 17 **मार्च**, 2015 **के सन्दर्भ में प्रेषित।**

14- **सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी,** उ0प्र0**।**

15- **वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।**

16- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**